

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0310-4 (मु0)-3054-01-148/2023 पार्ट-II-6352 /पटना, दिनांक-14/12/23
प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0र0
विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड-37-3054-04- 105-0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक अनुमोदन दी जाती है:-

Sl No.	Division	Block	Project ID	Road Name	Length (in km)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Arcraj	Arcraj	31708202053	Arcraj-Fatuha to Khajuriya Road	1.948	66.92	18.33	6.69	91.94
2	Arcraj	Paharpur	31708302016	L054-PWD Sishwa to Korar tola (VR30)	2.305	77.74	21.15	2.77	106.66
3	Arcraj	Paharpur	31708313001	Arcraj Tikuliya To Laguniya Harijan Tola	2.100	70.14	19.03	7.01	96.18
4	Arcraj	Sangrampur	31708313010	Tiwari Tola to Turaha Tola	1.594	49.716	14.402	4.972	69.089
5	Arcraj	Sangrampur	31708302030	T04-Darwa P.M.G.S.Y to Dalit basti chamar tola	1.943	61.1	18.09	6.11	85.30

Raxaul	Rangpurwa	31708513017	T04 House of Umeshwar Singh to Braudha Harijan Basti	1.200	51.08	11.9	5.11	68.09
Raxaul	Rangpurwa	31708513023	T02 Rangpurwa Patali Road to Chikani Harijan Basti	0.770	36.585	7.2	3.659	47.444
Gopalganj-1	Katiya	31406902146	Begahi Bazar to Relaiyapatti Noniya Tola	0.760	21.888	6.115	2.189	30.192
Muzaffarpur East-2	Minapur	31507312074	Vidhayak Ji Near Chewk to braham asthan Via Rajput Tola (Link No.s-158)	1.320	53.84	10.82	5.38	70.04
Muzaffarpur East-2	Minapur	31507313041	Kharhar Transformer to Gandak Nadi Tak	1.300	72.91	9.28	7.29	89.48
Muzaffarpur East-2	Minapur	31507313044	Harser Balua Bazar to Harser ghat	1.555	73.37	11.87	7.34	92.58
Muzaffarpur East-2	Minapur	31507312098	Khemai Patti to Chakjamal	1.580	67.07	12.32	6.71	86.1
Muzaffarpur West	Kanti	NEA220002439	NH-28 Sarwaspur To Sirsia Via Kaparpura School Rly. Crossing	2.100	83.12	17.56	8.31	108.99
Muzaffarpur West	Sahbganj	NEA220002507	Nawada-Hussepur	1.350	49.608	12.23	4.961	66.80
Chapra-1	Garkha	31306213015	Mithepur Mushepur Road to Hamentpur Harijan Tola hote hue Sikandar Ray ke Ghar tak	1.450	69.236	14.188	6.924	90.35
Hajipur	Patedhi Belsar	NEA220002584	Bedaulia to Chochaba	1.600	46.24	18.63	4.62	69.49
Hajipur	Patedhi Belsar	NEA220002511	Mauna Bishanpur (Fakuli Lalganj Road) to Rajkiya Madhya Vidyalaya Ufraul	2.000	74.64	24.23	7.46	106.33
Hajipur	Patedhi Belsar	NEA220002506	Rajkiya Madhya Vidyalaya Chakmaruf to Belsar Nagma Road	2.850	97.31	35.38	9.73	142.42
Hajipur	Vaishali	NEA220002281	Dumaria to Majhauri Village	1.510	58.97	16.23	5.9	81.1
Hajipur	Vaishali	NEA220002346	Madarna Pokhar to Madarna Gorthan	1.780	41.69	17.15	4.17	63.01
TOTAL				89.040	3325.660	835.433	332.520	4493.632

कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमंडल के अधीन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। "बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018" के तहत MBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त निविदा का क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

इस योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0310-4 (मु0)-3054-01-289/2023 में दिनांक 21.10.2023 को प्राप्त हैं।

5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-13.12.23 को संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-01-148/2023 पार्ट-II में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अछादित नहीं हो।
9. संबंधित योजनाओं Unsatisfactory / Satisfactory but Requires Improvement कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राड के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
- प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
13. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑनलाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
14. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु0अ0 - 4 (मु0) - 3054 - 01 -148/2023 पार्ट-II के पृ0-14 /टि0 पर दिनांक-11-12-23 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

13/12/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव